

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
55/09	183 RTI	रूपडा	रूपडा
बादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
32/19	बनाम	लक्ष्मी च-5	

वकील :-

**आदेश पत्रक**

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
31/3/2019	उपखण्ड प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 RTI विरुद्ध कर्णार्थी गण के माफा 0 के पेश किया गया। रिपोर्ट लड़िका का कवलेक किया गया। उक्त दर्ज रजिस्ट्रि किया जाये। कर्णार्थी गण को अदिष्ट लागू रखे किया जाये। पत्रावली दिनांक 12.5.09 को पेश हो।	
12/4/19	पत्रावली पेश-वकील-बादी उपर। प्रतिवादी एवं उक्त। बादी-जवाब दि. 10.6.09 को पेश हो।	
10/6/19	पत्रावली पेश-वकील-बादी उपर। प्रतिवादी एवं उक्त। जवाब रज- (नया चाल) बादी जवाब दि. 14.7.19 को पेश हो।	
14/7/19	आज पीपलीन भविष्य के दौरे / अवकाश पर होने के कार्य परावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 14/7/19 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा / बारां	
9/8/19	आज पीपलीन भविष्य के दौरे / अवकाश पर होने के कार्य परावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 3/11/19 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा / बारां	

लक्ष्मी च-5

## कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

7.10.24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाल पारीकेश 3500 | प्रा. पत्र 022 Rule 4 द्वारा 151 CPC का जवाब वकील प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुआ। अन्तिम अवसर दिनांक 20.11.24 को पेश हो।

✍

20.11.24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाल पारीकेश 3500 / वकील प्रतिवादी की ओर से प्रा. पत्र 022 Rule 4 द्वारा 151 CPC का जवाब पेश नहीं हुआ / मस्य चाहे है। न्यायपालिका के एक ओर अन्तिम अवसर दिनांक 23.12.24 को पेश हो।

✍

23.12.24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाल पारीकेश 3500 / वकील प्रतिवादी के प्रा. पत्र 022 Rule 4 द्वारा 151 CPC का जवाब पेश नहीं किया है। अन्तिम अवसर दिनांक 27.1.25 को पेश हो।

✍

27.1.25

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 1.1.25 को पेश हो।

✍

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (धारा)

11.3.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वारी एवं वादीगण 3500 नहीं हैं। न्यायालय के कठ-कठ कर लीन वार जावाज लावाई गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने तक इंतजार किया जाएगा। कोई 3500 नहीं हुआ। प्रकरण अटक जारी एवं अटक फरती के खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रेशल सुधार होकर सक्रिय इन्टर हो।

✍